न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 102/2024 G.C.M.S. No. 2024/402 दर्ज दिनांक : 01.10.2024

अपीलार्थी:

1. मोडसिंह पुत्र मानसिंह, उम्र वयस्क, जाति पुरोहित निवासी चाणोद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. लालसिंह पुत्र जीवसिंह, उम्र वयस्क
2. चिमनसिंह पुत्र जीवसिंह, उम्र वयस्क, जातिगण राजपूत, निवासीगण चाणोद, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2021 बअनवान लालसिंह वगैरह बनाम मोडसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 23.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2021 बअनवान लालसिंह वगैरह बनाम मोडसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 की ओर से अपीलांट के विरूद्ध धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम चाणोद के खसरा नम्बर 1485/3628 रकबा 1.38 हैक्टेयर कृषि भूमि रेस्पोंडेंट्स के खातेदारी की स्थित है। इस खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1482 रकबा 0.92 हैक्टेयर कृषि भूमि जो अपीलांट के खातेदारी की हैं, में से 12 फीट नया रास्ता नजरी नक्शा अनुसार दिलाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी/अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाण्ट के जवाब का अवसर बंद कर एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपीलाधीन आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया, जो कि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अप्रार्थी को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना व विधिवत तामील करवाए बिना उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.08.2021 को प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश देकर पत्रावली को दिनांक 06.09.2021 को अपीलांट की तलबी हेतु मुकर्रर की थीं। अप्रार्थी/अपीलाण्ट के नोटिस के आदेश पारित किये थें, लेकिन दिनांक 05.08.2021 को अपीलाण्ट के नोटिस जारी नहीं किये, न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की सम्पूर्ण आदेशिका में यह कहीं पर अंकित है कि अपार्थी अपील के नोटिस तामील व अदम तामील प्राप्त हुए हैं एवं सीधे दिनांक 23.03.2022 की आदेशिका में जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाना अंकित कर दिया। जबकि विधि अनुसार न्यायालय के समक्ष कोई भी प्रकरण पेश होता है तो प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाता है एवं आगामी तारीख पेशी पर नोटिस तामील या अदम तामील प्राप्त होने की रिपोर्ट का अंकन किया जाता है। लेकिन उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में नोटिस तामील अदम तामील के बाबत कुछ भी अंकित नहीं किया एवं सीधे ही जवाब हेतु अंतिम अवसर दे दिया, जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 व 2 के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1485/3638 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1368 गैर मुमकीन रास्ते मे से होकर खसरा नम्बर 3819/1490, 3815/1493, 3814/1487 होते हुए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं उक्त रास्ते से ही रेस्पोडेंट्स व अन्य लोग पीढियों से आना जाना कर रहें हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों एवं रेकर्ड की जांच किये बिना ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके की जांच रिपोर्ट बनाने से पूर्व अपीलाण्ट को नोटिस नहीं दिया एवं रेस्पोंडेंट्स के साथ मिलीभगत एवं मिलावट कर एकपक्षीय मौका जांच रिपोर्ट तैयार कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गयी हैं। मौका जांच रिपोर्ट भी नियम व विधि विरूद्ध है। क्योंकि उक्त रिपोर्ट बनाने से पूर्व नियम 69 की पालना नहीं की गयी हैं। इस कारण भी जैर अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि में जाने के लिए खसरा नम्बर 1368 गैर मुमकिन रास्ते में से खसरा नम्बर 3819/1490, 3815/1493, 3814/1487 होते हुए खसरा नम्बर 1486 जो रेस्पोंडेंट्स की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में से वादग्रस्त भूमि में रास्ता जाता है जो वैकल्पिक रास्ता है, उक्त रास्ते से प्रकट है कि रेस्पोंडेंट्स की खातेदारी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था। इसके बावजूद अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपीलाधीन आदेश पारित कर रास्ता दिया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी ग्राम चाणोद प्रथम, तहसील सुमेरपुर के खसरा संख्या 1485/3628 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 1482 में से 3 मीटर चौडा व 160 मीटर लंबा कुल रकबा 480 वर्गमीटर गैर मुमकिन सिवायचक रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 01.10.2024 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में जानकारी नहीं थीं। दिनांक 07.09.2024 को रेस्पोंडेंट अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि पर आए तथा रास्ता निकालने का प्रयास किया, तो अपीलांट ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिस पर रेस्पोंडेंट के कहने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात नकल आदि लेकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें। हमारे विनम्र मत में प्रकरण में जानबूझकर व दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

2. अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की आराजी में से रास्ता स्वीकृत कर प्रतिकर के रूप में डीएलसी की दुगुनी राशि स्वीकृत की गई हैं। अपीलांट की आराजी का रकबा कम है। अतः रास्ते के बराबर, रास्ते के बदले प्रतिकर के रूप में रेस्पोंडेंट की आराजी जो अपीलांट की आराजी से लगते ही स्थित है। प्रतिकर के रूप में भूमि दी जाए, जिससे अपीलांट का रकबा भी बराबर हो

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

जाएगा तथा रेस्पोंडेंट को रास्ता भी मिल जाएगा। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट प्रार्थीगण द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रास्ते में प्रयुक्त भूमि के प्रतिकर के रूप में समान रकबे की भूमि देने की मांग नहीं की थीं तथा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्रतिकर राशि का निर्धारण सही किया है। जिसमें इस स्तर पर परिवर्तन करने की मांग का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील खारिज फरमावें।

3. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में संशोधन करते हुए उक्त धारा के अंतर्गत स्वीकृत रास्ते की भूमि के प्रतिकर के रूप में समान रकबे की भूमि प्रार्थी द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि प्रार्थी की ऐसी भूमि जिसके लिए रास्ते की मांग की गई हैं, अप्रार्थी की आराजी जिसमें से रास्ता स्वीकृत किया गया है, से लगी हुई हों।

4. चूंकि संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिकर के रूप में राशि के बजाय समान रकबे की लगती हुई भूमि अंतरित किए जाने का विधिक प्रावधान किया गया है, ताकि प्रभावित काश्तकार का रकबा कम नहीं हों तथा मांग करने वाले काश्तकार को रास्ता भी सुलभ उपलब्ध हो सकें। प्रतिकर के रूप में राशि के बजाय समान रकबे की भूमि अपील के स्तर पर मांग किये जाने से वस्तुतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण के भू–अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट की आराजी खसरा संख्या 1485/3628 एवं अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 1482 परस्पर लगी हुई हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 1482 में से स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता कुल रकबा 640 वर्गमीटर के समान भूमि रेस्पोंडेंट की आराजी खसरा संख्या 1485/3628 की पूर्वी सीमा जो अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 1482 से लगती हैं, में से 640 वर्गमीटर रकबा कम कर उक्त रकबा अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत प्रतिकर राशि का निर्धारण व भुगतान किए जाने की सीमा तक अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर इसी अनुरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को इसी अनुरूप संशोधित किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2021 बअनवान लालसिंह वगैरह बनाम मोडसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 को स्वीकृत रास्ते के प्रतिकर के रूप में राशि की गणना एवं प्रतिकर राशि के निर्धारण व भुगतान की सीमा तक अपास्त करते हुए राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में किए गए संशोधित विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 1482 में से स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता कुल रकबा 640 वर्गमीटर के प्रतिकर के रूप में रेस्पोंडेंट्स की आराजी खसरा संख्या 1485/3628 की पूर्वी सीमा जो अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 1482 से लगती हैं, में से 640 वर्गमीटर रकबा कम करते हुए इसे अपीलांट अप्रार्थी के नाम दर्ज किया जावें। रेस्पोंडेंट प्रार्थीगण द्वारा यदि अपीलाधीन आदेश की पालना में यदि प्रतिकर राशि अधीनस्थ न्यायालय या संबंधित तहसील में जमा करवाई गई हैं, तो उसे रेस्पोंडेंट्स प्रार्थीगण को पुनः लौटाई जावें। शेष आदेश यथावत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश इसी अनुरूप संशोधित किया जाता है। इसी अनुरूप नामांतरण की कार्यवाही कर अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। संबंधित तहसीलदार को पालनार्थ निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **23.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner